कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2019/ 830 छिन्दवाड़ा दिनांक 22/2/2020

प्रति,

महाप्रबंधक
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास
प्राधीकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–2
छिन्दवाड़ा

विषय :– छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.798 हे0 वन भूमि महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास प्राधीकरण छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6 एमपीबी 022/2019–बी.एच.ओ./222 दिनांक 14.02.2020 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/861/2019/10–11/665 दिनांक 17.02.2020

----0000----

विषयांकित पत्र में लेख है कि, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र दमुआ के संरक्षित वनखंड रामपुर के कक्ष क्रमांक 409 रकबा 3.798 हेक्टेयर वनभूमि रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6 एमपीबी 022/2019–बी.एच.ओ./222 दिनांक 14.02.2020 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 23 तक का पालन आपके द्वारा किया जाना है।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 4 एवं 5 के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं एन.पी.व्ही की राशि का आपके द्वारा जमा किया जाना है। शर्त क्रमांक 7 के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि को छोड़ कर वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जावेगा।

शर्त क्रमांक 10 के पालन में प्रकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि में वन्यप्राणी कारीडोर के क्षेत्र में वन्य प्राणियों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्धारण वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य कराया जावेगा।

अधिरोपित की गई शर्त क्रमांक 4 के पालन हेतु वृक्षारोपण योजना में जारी की गई तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	अधिरोपित शर्त क.	प्रस्तावित ग्राम एवं ख.क.	प्रस्तावित रकबा (हे0में)	वृक्षारोपण की राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	जारी की गई तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक दिनांक
1	अधिरोपित शर्त क. 4 के पालन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण	बाथरी 209/1	7.578	7754469	775447	8530000	12 दि. 29.01.2020
	योग		**7.578**	**7754469**	**775447**	**8530000**	

एवं शर्त क्रमांक 5 के पालन हेतु म0प्र0 शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ –5/16 / 2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 के दिशा निर्देशानुसार नेट प्रेजेन्ट वेल्यु की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	अधिरोपित शर्त क.	व्यपवर्तित वनभूमि रकबा	वनो की ईको वेल्यु श्रेणी	वनों का घनत्व	नेट प्रेजेन्ट वेल्यु प्रति हे0	राशि
1	अधिरोपित शर्त क. 5 के पालन हेतु नेट प्रेजेन्ट वेल्यु	3.798	उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7)	803000	3049794
	योग	**3.798**				**3049794**

उपरोक्त प्रकरण में एन.पी.व्ही की राशि रु. **30,49,794.00** एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि रू. **85,30,000.00** में से रोपण की राशि रू. **77,54,469.00** Forestsclearace.nic.in वेब साईड के ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद खाते में ऑनलाईन जमा करें , एवं शेष पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू. **7,75,447.00** वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा के नाम से बैंक डी.डी. या चैक के मध्यम से जमा करें।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6 एमपीबी 022/2019–बी.एच.ओ./222 दिनांक 14.02.2020 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 23 तक का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ताकि अंतिम स्वीकृति हेतु शासन की ओर लेख किया जा सकें।

शर्तो के परिपालन में तैयार की गई कुल वृक्षारोपण योजना की राशि 48623984.00 में से रोपण की राशि रू. 44203621.00एवं पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू 4420362.00 को वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल के नाम से डी.डी या चेक के माध्यम से जमा करें। उक्त जमा राशि की पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावें।

संलग्न :– उपरो०

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2020/ 831 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 22/2/2020

प्रतिलिपि :–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ–5/861/2019/10–11 /665 दिनांक 17.02.2020 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

3. उपवनमंडलाधिकारी परासिया सा. उपवनमंडल एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी दमुआ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6 एमपीबी 022/2019–बी.एच.ओ./222 दिनांक 14.02.2020 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है। प्रथम चरण की स्वीकृति के पालन उपरांत अंतिम चरण की स्वीकृति जारी की जावेगी तत्पश्चात् कार्य करने दिया जावें। (सं. उपरो०)

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा